तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/7324/2006/भीलवाड़ा** **ग्राम पंचायत आटूण बनाम नगर परिषद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः— 01—08—2025

यह निगरानी न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 77/2006 बउनवानी ग्राम पंचायत आटूण बनाम नगर परिषद में पारित आदेश दिनांक 15—09—2006 के विरुद्ध धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दि0 15—05—2006 को वादग्रस्त आराजीयात को नगर परिषद भीलवाड़ा के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15—09—2006 को खारिज कर दी गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। उनका तर्क है कि ग्राम आटूण की साबिक आराजी संख्या 804, 806 व 807 को महकमा खास रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में मिसल संख्या 8/04 कायम कर सक्षम अधिकारी द्वारा जागीरदार आटूण को 50/— रूपये प्रति बीघा से आबादी के लिए खेड़ा बसाने हेतु विक्रय की गई। दिनांक 02—10—1946 को आदेश पारित कर जागीरदार आटूण बाबा जोधसिंह के नाम उपरोक्त साबिक आराजीयात दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड की गई। उक्त भूमि पर आबादी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/7324/2006/भीलवाड़ा** **ग्राम पंचायत आटूण बनाम नगर परिषद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बसाने के लिए राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक–एफ(4)/306 रेवेन्यू–ा(50) दिनांक 22–01–1951 के तहत अधिकार पत्र जारी किया गया तभी से यह आराजीयात आबादी में चली आ रही है। विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजीयात को नगर परिषद भीलवाड़ा ने वादग्रस्त आराजीयात को नगर परिषद भीलवाड़ा के नाम दर्ज करने में त्रुटी कारित की है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखकर अपीलांट द्वारा उठाए गए ऐतराजों को अनिर्णित रखकर अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है।

साबिक आराजीयात में कुछ भू–खण्ड कटे हुए हैं तथा शेष भूमि आाबादी होकर ग्राम पंचायत के भौतिक पजेशन में है ग्राम पंचायत क्षेत्र की आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत का ही अधिकार होता है तथा वही उसकी स्वामी होती है। उक्त प्रकरण आबादी भूमि से संबंधित है, आबादी भूमि से सम्बन्धित विवाद को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा मामले को समायत योग्य मानकर त्रुटि कारित की है।

रेस्पो0 1 का प्रार्थना पत्र बेरून मयाद है। भू–प्रबंध कार्यवाही को 30 वर्ष पूर्ण हो गए हैं इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के बाद अब आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं है तथा दौराने बंदोबस्त नगर परिषद को पर्चा खतौनी भी दिए गए। इस पर्चा खतौनी में स्पष्ट रूप से स्वामित्व व खसरा नम्बर तथा रकबे का विवरण दिया गया था तथा कार्यवाही भी तीन–चार बार चली थी तब रेस्पो0 संख्या 1 ने कोई आपत्ति नहीं की थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थना पत्र को अन्दर अवधि मियाद मानकर त्रुटि कारित की है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट संधारण योग्य नहीं था तथा न ही ऐसे प्रार्थना पत्र के आधार पर कोई दादरसी प्रदान की जा सकती थी। धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि अथवा पक्षकारान द्वारा किसी गलती की स्वीकृति को मान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/7324/2006/भीलवाड़ा** **ग्राम पंचायत आटूण बनाम नगर परिषद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लेने पर ही धारा 136 का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र में धारा 136 के तत्व विद्यमान नहीं होते हुए भी उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विचारण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखकर आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिससे कि अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–09–2006 एवं 15–05–2006 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए जावें।

यह अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय दिनांक 15–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 15–09–2006 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–05–2006 को निरस्त करने का प्रस्तुत किया है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, ने अपने निर्णय में विचारण न्यायालय के आदेश को उचित माना है तथा अपीलांट की अपील खारिज की गई है। उन्होंने अपने निर्णय में वर्णित किया है कि ग्राम पंचायत आटूण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। वादग्रस्त आराजी को बिला नाम सरकार आबादी दर्ज कर त्रुटि किया जाना प्रकट किया है जिसकी दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में कोई त्रुटि कारित नहीं की है।

इस एकल पीठ के विनम्र मत में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निर्णय है जिसमें इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। हमारे समक्ष उपरोक्त आक्षेपित आदेशों में ऐसी कोई तथ्य या विधि सम्बंधी त्रुटि जाहिर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/7324/2006/भीलवाड़ा** **ग्राम पंचायत आटूण बनाम नगर परिषद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं होती है, जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उक्त आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत निगरानी याचिका एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्त्र हो। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	